इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 419] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 सितम्बर 2013—भाद्र 21, शक 1935

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 सितम्बर 2013

क्र. एफ 13-8-10-बारह-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा मध्यप्रदेश भौमिकी तथा खनिकर्म, (श्रेणी 1 और 2) भरती नियम 1965 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

इन नियमों में,

1. नियम 9 में,—

(1) खण्ड (एक) के उपखण्ड (ग) में, मद (एक) के स्थान पर निम्नलिखित मद स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(एक) ऐसे अभ्यार्थियों के संबंध में, जो राज्य / निगम/ मण्डल/ आयोग/ स्वायत्त निकायों के कर्मचारी हैं, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिल की जाएगी.".

(2) उप खण्ड (ग) में, टीप के पश्चात्, निम्नलिखित उप खण्ड (घ) अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

(घ) शासकीय सेवा में अधिकतम आयु सीमा की संगणना उस प्रकार की जाएगी जो कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-3-11-12-1-3, भोपाल, दिनांक 3 नवम्बर 2012 तथा सी-3-11-2012-3-एक, दिनांक 20 नवम्बर 2012 में उपबंधित हो समस्त वर्गों में अधिकतम आयु सीमा इस खण्ड में उपबंधित समस्त छूटों को सम्मिलित करने के पश्चात् 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.".

2. नियम 10 को उसके उप नियम (1) के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाए तथा इस प्रकार पुनर्क्रमांकित उप नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

(2) कोई भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी भी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

(3) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसकी दो से अधिक जीवित संतान हों जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो:

परन्तु ऐसा कोई भी अभ्यर्थी सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए निरर्ह नहीं होगा जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो अथवा दो से अधिक संतान का जन्म हुआ हो.

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी सेवा अथवा पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जो कि महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहरा दिया गया हो:

परन्तु जहां अभ्यर्थी के विरुद्ध ऐसा मामला न्यायालय में लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला, आपराधिक मामले का विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा.

3. नियम 12 में.—

(एक) खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(3) सीधी भरती के प्रक्रम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 14 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाएंगे.

(3-क) सीधी भरती के लिए उपलब्ध रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण होगा.

(3-ख) सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित होंगे.

(दो) उप नियम (6) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

''(6) यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थी उनके लिए आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां उक्त प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक अग्रणीत की जाएंगी.

4. नियम 13 में, उप नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

''(4) लोक सेवा आयोग द्वारा जारी चयन सूची, जारी होने की तारीख से एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगी तथा लोक सेवा आयोग के परामर्श से छह मास के लिए बढ़ाई जा सकेगी.

5. विद्यमान अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनुसूची-एक
(नियम 6 देखिए)

क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	वर्ग-एक				
1	संचालक	1	एक	37400—67000+8900	
2	अधीक्षण भौमिकी विद्	5	—''—	15600—39100+7600	
3	संयुक्त संचालक	1	—''—	15600—39100+7600	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	उप संचालक (तकनीकी)	26	एक	15600—39100+6600	
5	उप संचालक (खनिज प्रशा.)	6	—"—	15600—39100+6600	
6	मुख्य विश्लेषक	1	—"—	15600—39100+6600	
7	खनिज अर्थशास्त्री	1	—"—	15600—39100+6600	
8	वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी	1	—"—	15600—39100+6600	
9	उप संचालक (वित्त)	1	—"—	15600—39100+6600	
			वर्ग-दो		
1	सहायक भौमिकी विद्	38	दो	15600—39100+5400	
2	खनि अधिकारी	30	—"—	15600—39100+5400	
3	हीरा अधिकारी	1	—"—	15600—39100+5400	
4	रसायनज्ञ	4	—"—	15600—39100+5400	
5	वेधन अधीक्षक	1	—"—	9300—34800+4200	
6	लेखा अधिकारी	1	—"—	9300—34800+4200	
7	सर्वे आफिसर	1	—"—	9300—34800+4200	
8	सहायक खनिज अर्थशास्त्री	3	—"—	9300—34800+4200	
9	भण्डार अधिकारी	1	—"—	9300—34800+4200	
10	प्रभारी अधिकारी (मानचित्र कक्ष)	1	—"—	9300—34800+4200	
11	सहायक फिजिसिस्ट	1	—"—	15600—39100+5400	
12	जनसम्पर्क अधिकारी	1	—"—	15600—39100+5400	

अनुसूची-दो

[नियम 7 (2) देखिए]

क्र.	विभाग का नाम एवं पदों का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
			सीधी भरती द्वारा देखिये नियम 7(1)(क)	पदोन्नति द्वारा देखिये नियम 7(1)(ख)	अन्य सेवाओं के व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा देखिये नियम 7 (1)(ग)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	खनिज साधन विभाग					
			वर्ग-एक			
1	संचालक	1	–	100%	–	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	अधीक्षण भौमिकी विद्	5	–	100%	–	
3	संयुक्त संचालक	1	–	100%	–	
4	उप संचालक (तकनीकी)	26	–	100%	–	
5	उप संचालक (खनिज प्रशासन)	6	–	100%	–	
6	मुख्य विश्लेषक	1	–	100%	–	
7	खनिज अर्थशास्त्री	1	–	100%	–	
8	वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी	1	–	100%	–	
9	उप संचालक (वित्त)	1	–	–	100%	कोष एवं लेखा विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा.
	वर्ग-दो					
1	सहायक भौमिकी विद्	38	100%	–	–	
2	खनि अधिकारी	30	50%	50%	–	
3	हीरा अधिकारी	1	100%	–	–	
4	रसायनज्ञ	4	25%	75%	–	
5	वेधन अधीक्षक	1	–	100%	–	
6	लेखा अधिकारी	1	–	100%	–	
7	सर्वे आफिसर	1	–	100%	–	
8	सहायक खनिज अर्थशास्त्री	3	–	100%	–	
9	भण्डार अधिकारी	1	–	100%	–	
10	प्रभारी अधिकारी (मानचित्र कक्ष)	1	–	100%	–	
11	सहायक फिजिसिस्ट	1	100%	–	–	
12	जनसंपर्क अधिकारी	1	–	–	100%	जनसंपर्क विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा.

अनुसूची-तीन
(नियम 9 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		वर्ग-दो			
खनिज साधन विभाग.	1. सहायक भौमिकी विद्	21 वर्ष	40 वर्ष	भू-विज्ञान (जियोलाजी) में स्नातकोत्तर उपाधि या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान (एप्लाइड जियोलाजी) में एम.टेक उपाधि.	
	2. हीरा अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	1. भू-विज्ञान (जियोलाजी) में स्नातकोत्तर उपाधि या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान (एप्लाइड जियोलाजी) में एम.टेक उपाधि. 2. हीरा उद्योग में कार्य का अनुभव	
	3. रसायनज्ञ	21 वर्ष	40 वर्ष	रसायनज्ञ शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि किसी ख्याति प्राप्त रसायन प्रयोगशाला में अयस्क तथा खनिजों के विश्लेषणों का भी तीन वर्ष का अनुभव.	
	4. खनि अधिकारी	21 वर्ष	40 वर्ष	भू-विज्ञान (जियोलाजी) में स्नातकोत्तर उपाधि या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान (एप्लाइड जियोलाजी) में एम.टेक उपाधि.	
	5. सहायक फिजिसिस्ट	21 वर्ष	40 वर्ष	फिजिक्स में स्नातकोत्तर उपाधि.	

टीप.—शासकीय विभागों, निगम, मण्डल, आयोग, स्वायत्त निकायों में कार्यरत अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी.

अनुसूची-चार
(नियम 14 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम अथवा सेवा जिससे पदोन्नति की जाना है	पदोन्नति हेतु पात्रता की कालावधि	उस पद का नाम अथवा सेवा जिस पर पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य (नियम 14)	टीप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खनिज साधन	1. अधीक्षण भौमिकीविद् /	5 वर्ष	संचालक	1. मुख्य सचिव — अध्यक्ष	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विभाग.	संयुक्त संचालक.				
				2. वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव — सदस्य	
				3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव सामान्य प्रशासन विभाग— सदस्य	
				4. प्रमुख सचिव/सचिव खनिज साधन विभाग — सदस्य	
				5. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक प्रतिनिधि जो कि उप/ अवर सचिव की श्रेणी का हो — सदस्य	
	2. उप संचालक (तकनीकी)	5 वर्ष	अधीक्षण भौमिकीविद्	1. अध्यक्ष—लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामांकित सदस्य — अध्यक्ष	
				2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव या सचिव खनिज साधन विभाग — सदस्य	
				3. अनु. जाति/ जनजाति का प्रतिनिधि — सदस्य	
				4. संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म — संयोजक	
	3. उप संचालक (खनिज प्रशासन).	5 वर्ष	संयुक्त संचालक	—— तदैव ——	
	4. सहायक भौमिकीविद्	5 वर्ष	उप संचालक (तकनीकी)	—— तदैव ——	
	5. खनि अधिकारी/ हीरा अधिकारी.	5 वर्ष	उप संचालक (खनिज प्रशासन)	—— तदैव ——	
	6. रसायनज्ञ	5 वर्ष	मुख्य विश्लेषक	—— तदैव ——	
	7. लेखा अधिकारी	5 वर्ष	वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी	—— तदैव ——	
	8. सहायक खनिज अर्थशास्त्री	5 वर्ष	खनिज अर्थशास्त्री	—— तदैव ——	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	9. सहायक खनि अधिकारी	5 वर्ष	खनि अधिकारी	—— तदैव ——	
	10. सहायक रसायनज्ञ	5 वर्ष	रसायनज्ञ	—— तदैव ——	
	11. वेधन यांत्रिकी	5 वर्ष	वेधन अधीक्षक	—— तदैव ——	
	12. सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष	सहायक खनिज अर्थशास्त्री	—— तदैव ——	
	13. प्रशासकीय सहायक	5 वर्ष	लेखा अधिकारी	—— तदैव ——	
	14. टोपो सर्वेयर	5 वर्ष	सर्वे आफिसर	—— तदैव ——	
	15. वरिष्ठ प्रशिल्पी	5 वर्ष	भण्डार अधिकारी	—— तदैव ——	
	16. वरिष्ठ मानचित्रकार	5 वर्ष	प्रभारी अधिकारी (मानचित्र कक्ष)	—— तदैव ——	

No. F-13-8-10-XII-2.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Geology and Mining (Class I and II) Recruitment Rules, 1965, namely :—

AMENDMENTS

In the said rules,—

1. In rule 9,—

(1) In sub-clause (c) of clasue (i), for item (i), the following item shall be substituted, namely:—

" (i) The upper age limit shall be relaxed up to 45 years in respect of candidate, who are employee of State/Corporation/Board/Commission/Autonomous bodies.";

(2) in sub-clasue (c), after the note, the following sub-clause (d) shall be inserted, namely :—

" (d) The calculation of maximum age limit in Government Service shall be as provided in the circular No. C-3-11-12-1-3 dated 3 November 2012 and No. C-3-11-2012-3-One dated 20 November 2012 of the General Administrative Department. The Maximum age limit in all classes shall not be more than 45 years after including all concessions provided in this clause."

2. Rule 10 shall be renumbered as sub-rule (1) thereof and after sub-rule (1) as so renumbered, the following sub-rules, shall be inserted, namely :—

"(2) No candidate shall be eligible for appointment to a service or post, who has married before the minimum age fixed for marriage.

(3) No candidate shall be eligible for any appointment to the service or post if he has more than two living children one of whom is born on or after 26th January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January, 2001 in which two or more than two children are born.

(4) No candidate shall be eligible for appointment to any service or post who has been convicted for an offence against the women:

Provided that where such case are pending in a court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the decision of a criminal case.

3. In rule 12,—

(i) for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) There shall be 16 percent and 20 percent reserved posts for the candidates belonging to the scheduled castes, scheduled tribes and 14 percent for other Backward classes at the stage of the direct recruitment.

(3-a) In vacancies available for direct recruitment 30 percent post shall be horizontal reserved for women candidates.

(3-b) There shall be reserved post for the candidates belonging to physically handicapped category in accordance with the notification issued by the Social Justice Department.

(ii) for sub-rule (6), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(6) If sufficient number of candidates belonging to the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes are not available for filling all vacancies reserved for them the remaining vacancies shall be carry forward till the candidates of said category are not available.

4. In rule 13, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely :—

"(4) Selection list issued by Public Service Commission shall be valid for one year from the date of issue and may be extended for six month after consultation with Public Service Commission.

5. for the existing Schedule I, II, III and IV, the following schedules shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-I

(See Rule 6)

S.No. (1)	Name of the Post including in the service (2)	Total number of Post (3)	Classification (4)	Pay-Scale (5)	Remark (6)
			CLASS-I		
1.	Director	1	Class-I	37400-67000+8900	
2.	Superintending Geologist	5	Class-I	15600-39100+7600	
3.	Joint Director	1	Class-I	15600-39100+7600	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Deputy Director (Technical)	26	Class-I	15600-39100+6600	
5.	Deputy Director (Mineral Administration)	6	Class-I	15600-39100+6600	
6.	Chief Analyst	1	Class-I	15600-39100+6600	
7.	Mineral Economist	1	Class-I	15600-39100+6600	
8.	Senior Administrative Officer	1	Class-I	15600-39100+6600	
9.	Deputy Director (Finance)	1	Class-I	15600-39100+6600	
			CLASS-II		
1.	Assistant Geologist	38	Class-II	15600-39100+5400	
2.	Mining Officer	30	Class-II	15600-39100+5400	
3.	Diamond Officer	1	Class-II	15600-39100+5400	
4.	Chemist	4	Class-II	15600-39100+5400	
5.	Drilling Superintendent	1	Class-II	9300-34800+4200	
6.	Account Officer	1	Class-II	9300-34800+4200	
7.	Survey Officer	1	Class-II	9300-34800+4200	
8.	Assistant Mineral Economist	3	Class-II	9300-34800+4200	
9.	Store Officer	1	Class-II	9300-34800+4200	
10.	Officer In charge (Map Section)	1	Class-II	9300-34800+4200	
11.	Assistant Physicist	1	Class-II	15600-39100+5400	
12.	Public Relation Officer	1	Class-II	15600-39100+5400	

SCHEDULE-II
[See rule 7(2)]

S. No.	Name of the Post	Total No. of Posts	Percentage of the number of Posts to be filled in			Remark
			By direct recruitment [see rule 7(1)(a)]	By promotion of members of the service vide [see rule 7(1)(b)]	By transfer of person form other service vide rule 7(1)(c)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			CLASS-I			
1.	Director	1	-	100%	-	-
2.	Superintending Geologist	5	-	100%	-	-
3.	Joint Director	1	-	100%	-	-
4.	Deputy Director (Technical)	26	-	100%	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	Deputy Director (Mineral Administration)	6	-	100%	-	-
6.	Chief Analyst	1	-	100%	-	-
7.	Mineral Economist	1	-	100%	-	-
8.	Senior Administrative Officer	1	-	100%	-	-
9.	Deputy Director (Finance)	1	-	-	100%	By Deputation From Treasury and Account Services
			CLASS-II			
1.	Assistant Geologist	38	100%	-	-	-
2.	Mining Officer	30	50%	50%	-	-
3.	Diamond Officer	1	100%	-	-	-
4.	Chemist	4	25%	75%	-	-
5.	Drilling Superintendent	1	-	100%	-	-
6.	Account Officer	1	-	100%	-	-
7.	Survey Officer	1	-	100%	-	-
8.	Assistant Mineral Economist	3	-	100%	-	-
9.	Store Officer	1	-	100%	-	-
10.	Officer In charge (Map Section)	1	-	100%	-	-
11.	Assistant Physicist	1	100%	-	-	-
12.	Public Relation Officer	1	-	-	100%	By Deputation From Public Relation Department

SCHEDULE-III
(See Rule 9)

Name of the Department (1)	Name of Post (2)	Minimum Age limit (3)	Maximum Age limit (4)	Educational qualification prescribed and experience (5)	Remark (6)
Mineral Resources Department		CLASS-II			
	1. Assistant Geologist	21 Years	40 Years	Post graduate degree in Geology or M. Tech Degree in Applied Geology.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2. Diamond Officer	21 Years	40 Years	1. Post graduate degree in Geology or M. Tech Degree in Applied Geology. 2. Experience of work in Diamond Industry.	
	3. Chemist	21 Years	40 Years	Post graduate degree in Chemistry, 3 years experience in analysis of ores and minerals in reputed chemical lab.	
	4. Mining Officer	21 Years	40 Years	Post graduate degree in Geology or M. Tech Degree in Applied Geology.	
	5. Assistant Physicist	21 Years	40 Years	Post graduate degree in Physics.	

Note.—For reserve category, candidates working in Government department, corporation, board, commission, autonomous bodies the maximum age limit will be 45 years.

SCHEDULE-IV
(See Rule 14)

Name of the Department	Name of Post from which promotion is to be made	Period of Eligibility	Name of the post to which promotion is to be made	Member of Departmental Promotion Committee (rule 14)	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mineral Resources Department	1 Superintending Geologist/ Joint Director	5 years	Director	1. Chief Secretary — Chairman 2. Seniormost Additional Chief Secretary —Member 3. Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary General Administration —Member 4. Principal Secretary /Secretary Mineral Resources Department —Member 5. One Representative of the Schedule cast/Schedule Tribes category who is equivalent to the rank of Deputy/Under Secretary —Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2 Deputy Director (Technical)	5 years	Superintending Geologist	1.Chairman public Service Commission or his Nominee — Chairman 2.Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary Mineral Resource Department —Member 3. One Representative of the Schedule cast/Schedule Tribes category who is equivalent to the rank of Deputy/Under Secretary —Member 4. Director Geology and Mining —Member Secretary	
	3 Deputy Director (Mineral Administration))	5 years	Joint Director	--do--	
	4 Assistant Geologist	5 years	Deputy Director (Technical)	--do--	
	5 Mining Officer/ Diamond Officer	5 years	Deputy Director (Mineral Administration)	--do--	
	6 Chemist	5 years	Chief Analyst	--do--	
	7 Account Officer	5 years	Senior Administrative Officer	--do--	
	8 Assistant Mineral Economist.	5 years	Mineral Economist		
	9 Assistant Mining Officer	5 years	Mining Officer	--do-	
	10 Assistant Chemist	5 years	Chemist	--do-	
	11 Driller Mechanic	5 years	Drilling Superintendent	--do--	
	12 Assistant Statistical Officer	5 years	Assistant Mineral Economist	--do--	
	13 Administrative Assistant	5 years	Account Officer	--do--	
	14 Topo Surveyor	5 years	Survey Officer	--do--	
	15 Senior Artificer	5 years	Store Officer	--do--	
	16 Senior Draftsman	5 years	Officer In charge (Map Section)	--do--	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र कुमार शर्मा, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.